

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2(क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013
के

नियम -17(क) को देखें

ई0मेल- deo.almora.dir@gmail.com

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 9457
सेवा में,

दिनांक 09-01-2019

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक
महर्षि विद्या मंदिर, पपरसली, अल्मोड़ा
विकासखण्ड-हवालबाग, अल्मोड़ा।

विषय- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19(2) के प्रायोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम -17(क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय / महोदया,


उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध प्रत्यावेदन दिनांक 07.01.2019 के क्रम में विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया। विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय में कक्षा 01 से 08 तक की सभी कक्षायें विधिवत् संचालित हो रही हैं। जिनमें आर0टी0ई0 के नियमों का पालन किया जा रहा है।

अतः महर्षि विद्या मंदिर, पपरसली, अल्मोड़ा विकासखण्ड -हवालबाग, अल्मोड़ा को अधिनियम की धारा- 19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद अल्मोड़ा में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या U.P.S.-02 हैं। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उलंघन दृष्टिगोचर होता है, तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी

अल्मोड़ा जिला
अल्मोड़ा


Principal
Maharishi Vidya Mandir
Sr. Sec. School
Almora (U.K.)